



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-15/09/2020

जिलाबदर की कार्यवाही

जिला बदर की कार्यवाही

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में जनपद हमीरपुर के 06 थानों से कुल 01 गुण्डा अभियुक्त पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। निम्न गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं आदेशित दिनांक से 06 माह की अवधि तक ना ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेगा तथा बाहर जनपद में जिस स्थान पर निवास करेगा उसकी सूचना संबंधित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे। जिला बदर की अवधि के दौरान यदि अभियुक्त की उपस्थिति जनपद में पाई जाती है तो थाना पुलिस द्वारा उनको तत्काल गिरफ्तार करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक की जाएगी

~जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण

थाना सिसोलर-

1) छोटेलाल पुत्र मुरली प्रजापति निवासी ग्राम छोटा लेवा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दिनांक-28/08/2020 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।